an>

Title: Need to review the inclusion of 'Sindh' in the National Anthem of India and make suitable amendments.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान यह राष्ट्र के सम्मान के विषय हैं। हम सब भारतीय परम आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं।

यह राष्ट्रगान संसद ने 24 जनवरी, 1950 में पारित किया। उस वक्त इस राष्ट्रगान में दूसरी पंक्ति पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंग हैं। इस पंक्ति को हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा इस तरह से गाते हैं। जबकि संसद ने पारित किए हुए राष्ट्रगान में 'सिंधु' यह शब्द है। संसद ने यह बदलाव पूरे विचार से किया था। सिंध नाम का कोई प्रांत हिन्दुस्तान में आज नहीं है और संसद द्वारा पारित किए हुए इस राष्ट्रगान को बदलने का अधिकार संसद के सिवाय अन्य किसी को नहीं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से राष्ट्रगान में सही शब्दों का बदलाव करने की मांग करता हूं।